Telephone:23007814 Fax No :23014903

DHRD/16342/RRs/Stores Cadre/C/P/04
Government of India
Ministry of Defence
Defence Research & Dev.Org
Directorate of Human Resource Dev.
DRDO Bhawan, 'B' Wing
New Delhi-110011

Rajesh Kumar) Dy. Dir (HRD)

29 Aug 2023

To,
The Director,
-----------------(All Labs/Estts)

Sub: AMENDMENT OF RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF SENIOR STORE OFFICER GRADE-II, STORE OFFICER AND SENIOR STORE ASSISTANT (GROUP 'A' & 'B' POSTS)

Recruitment Rules published in the official Gazette vide SRO-85 "Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, Senior Store Officer Grade-II, Store Officer and Senior Store Assistant (Group 'A' & 'B' Posts) Recruitment Rules, 2023 is forwarded herewith for your information.

Encis: As above

Elicis. As above

Copy to :-

Secretary, D(R&D), DESIDOC, DOP, Pers (AA-1), CAO-A1(B) All Recognized Associations and Federations of DRDO All DG(DRDO)
Leader/Secretary Staff Side/All JCM Members
DRONA, Min of Def/D (R&D), Min of Def (Fin/R&D), New Delhi



सी.जी.-डी.एल.-सा.-28082023-248377 CG-DL-W-28082023-248377

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY साप्ताहिक WEEKLY

सं. 18] No. 18] नई दिल्ली, अंगस्त 20-अंगस्त 26, 2023, शनिवार/श्रावन 29-माद्र 4, 1945

NEW DELHI, AUGUST 20—AUGUST 26, 2023, SATURDAY/SHRAVANA 29—BHADRA 4, 1945

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

> भाग II—खण्ड 4 PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

(रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अगस्त, 2023

का.नि.आ. 85.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन, भंडार समूह 'क' और 'ख' पदों के भर्ती नियम, 2012 को जो विरष्ठ भंडार अधिकारी ग्रेड-II, भंडार अधिकारी और विरष्ठ भंडार सहायक के पद से संबंधित हैं, का अधिक्रान्त करते हुए उन वातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से पहले लोग किया गया है, रक्षा मंत्रालय के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में विरष्ठ भंडार अधिकारी ग्रेड-II, भंडार अधिकारी और विरेष्ठ भंडार सहायक पद पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन, विरिष्ठ भंडार अधिकारी ग्रेड-॥, भंडार अधिकारी और विरिष्ठ भंडार सहायक (समूह 'क' और 'ख' पद) भर्ती नियम, 2023 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. आवेदन ये नियम उन पदों के लिए लागू होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट होंगे।
- 3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट होंगे।
- 4. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा और अईताएं-उक्त पदों पर भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अईताएं और उनसे संबंधित अन्य वातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- निरर्हता कोई भी व्यक्ति,-
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पदों में से किसी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुजेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 6. शिथिल करने की शक्ति –जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की वाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 7. व्यावृत्ति- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपवंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैद्रिक्स में स्तर	चयन पद या अचयन पद	सीघी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. वरिष्ठ भंडार अधिकारी ग्रेड- II	58* (2023)* कार्य भारक अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 10 (56100- 177500 रू)	चयन	पैंतीस वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण: आयु-मीमा अवधारण की निर्णायक नारीख संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन के अनुसार होगी।	आवश्यक:- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या मंस्थान मे अर्थशास्त्र अथवा वाणिज्य अथवा मांख्यिकी अथवा व्यवसाय अध्ययन अथवा लोक प्रशासन में मास्टर डिग्री, और (ii) केन्द्रीय मरकार अथवा राज्य मरकार अथवा मांविधिक अथवा स्वायत्त मंगठन अथवा लोक क्षेत्रक उपक्रम अथवा विश्वविद्यालय अथवा किसी मान्यता प्राप्त मंस्थान अथवा वैंक अथवा भारन के शेयर बाजार में मूचीबद्ध निजी क्षेत्र के मंगठन में स्टोर

किर्पाण और स्टाक अकांउट में दा वर्ष का अनुमद, अथवा (iii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से एक विराय के रूप से अर्थशाख अथवा वाणिज्य अथवा मांख्यिकी अथवा व्यवसाय अध्ययन अथवा लोक प्रशासन में कातक डिडी; (iv) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सामग्री प्रवेधन अथवा प्राप्त अथवा नांकिटिक अथवा प्राप्त अथवा नांकि प्राप्त से डिल्तोमा। (v) केन्द्रीय मरकार अथवा लोक प्राप्त से उपका कानूनी अथवा स्वाप्त से संगठन अथवा लोक प्राप्त से अथवा को के अक्ष प्रक्रम अथवा विश्वविद्यालय अथवा किसी मान्यता प्राप्त संन्यान अथवा किसी मान्यता प्राप्त संन्यान अथवा किस मान्यता प्राप्त संन्यान अथवा किस मान्यता प्राप्त संन्यान अथवा किस मान्यता प्राप्त संन्यान अथवा विश्वविद्यालय अथवा किस मान्यता प्राप्त संन्यान संन्यान अथवा विश्वविद्यालय अथवा किस मान्यता है स्वाप्त संन्यान संन्यान अथवा विश्वविद्यालय अथवा किस मान्यता है स्वाप्त संन्यान संन्यान संन्यान अथवा विश्वविद्यालय अथवा किस मान्यता है स्वाप्त संन्यान स						
(iii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या चंस्थान में एक विषय के रूप में अर्थशास अथवा वाणिय्य अथवा माख्यिकी अथवा व्यवसाय अध्ययन अथवा लोक प्रशासन में लातक डिग्री; (iv) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या चंस्थान से सामग्री प्रवंधन अथवा मालगोदास प्रवंधन अथवा मालगोदास प्रवंधन अथवा मालगोदास प्रवंधन अथवा नोक प्रापण में टिप्लोमा। (v) केन्द्रीय सरकार अथवा नोक प्रापण में टिप्लोमा। (v) केन्द्रीय सरकार अथवा नोक अववा स्वायत मारन अथवा विश्वविद्यालय अथवा किसी मान्यता प्राप्त में स्थान अथवा किसी मान्यता प्राप्त मंत्र्यालय अथवा किसी मान्यता प्राप्त मंत्र्यालय ज्ञाय विश्वविद्यालय अथवा किसी मान्यता प्राप्त मंत्र्यालय ज्ञाय विश्वविद्यालय अथवा किसी मान्यता प्राप्त में स्टोर किसी थीव के संगठन में स्टोर किसी यो किसी यो किसी यो स्टोर किसी यो किसी यो से स्टार के सित आयोग के विवेकानुमार अनुमुचित जातियों और अनुमुचित जानियों के अथ्यियों के देशा में तव विश्वल किया जास के विवेकानुमार अनुमुचित कारियों और अनुमुचित कारन किसी प्रक्रम पर संघ सोक सेवा आयोग के विश्वल किसी प्रक्रम पर संघ सोक सेवा आयोग के विश्वल किसी प्रक्रम पर संघ सोक सेवा आयोग की विश्वल किसी प्रक्रम पर संघ सोक सेवा आयोग की विश्वल किसी प्रक्रम पर संघ सोक सेवा आयोग की विश्वल किसी प्रक्रम पर संघ सोक सेवा आयोग की विश्वल किसी प्रक्रम पर संघ सोक सेवा आयोग की विश्वल किसी प्रक्रम पर संघ सोक सेवा आयोग की विश्वल किसी प्रक्रम पर संघ सोक सेवा आयोग की विश्वल किसी प्रक्रम पर संघ सेवा सेवा सेवा सेवा सेवा सेवा सेवा सेवा	!					किर्फिंग और स्टाक अकां उट में दो वर्ष का
या संस्थान में एक विषय के रूप में अर्थशास्त्र अथवा वाणिज्य अथवा माश्चिम्की अथवा व्यवनाय अध्ययन अथवा लोक प्रशासन में स्नातक डिग्री; (iv) किसी मान्यनाप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान मामग्नी प्रवंधन अथवा मामलोबाम प्रवंधन अथवा मामलोबाम प्रवंधन अथवा मामलोबाम प्रवंधन अथवा लोक प्राप्ण में डिण्लोमा। (v) केन्द्रीय सरकार अथवा लोक प्राप्ण में डिण्लोमा। (v) केन्द्रीय सरकार अथवा लोक क्षेत्रक उपक्रम अथवा विश्वविद्यालय अथवा किसी मान्यता प्राप्त मंस्थान अथवा किसी और स्वाप्त किसी आप किसी है कि उत्तर्या मुझित अध्यार्थियों के त्या मंत्री अर्थता, उन कारणों के लिए, जो लेखवा किए जाए, मंघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथित की जा सकती है। िरण्या के त्या मंत्री अर्थता, उन कारणों के लिए, जो लेखवा किए, जाए लेखवा के स्याप्त के स्वप्त के सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए, जाए लेखवा किए, जाए लेखवा के स्वप्त						अनु भवः , अथवा
या संस्थान में एक विषय के रूप में अर्थशास्त्र अथवा वाणिज्य अथवा मास्त्रिकी अथवा व्यवनाय अध्ययन अथवा लोक प्रशासन में स्नातक डिग्री; (iv) किसी मान्यनाप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान में स्त्रान अथवा माननोदाम प्रवंधन अथवा माननोदाम प्रवंधन अथवा माननोदाम प्रवंधन अथवा नामको प्राप्त में डिप्लोमा। (v) केन्द्रीय मग्ना। अथवा नाम्या संग्राप्त अथवा किसी मान्यता प्राप्त मंस्थान अथवा किसी मान्यता भाग मंस्थान अथवा किसी मान्यता भाग मंस्थान के स्वाप्त अवाप्त में स्त्राप्त अवाप्त में स्त्राप्त अवाप्त अवाप्त में स्त्राप्त अवाप्त मान्यती के अभ्याप्त में स्त्राप्त में स्त्राप्त में स्त्राप्त के स्त्राप्त में स्त्राप्त के स्त्राप्त में किसी प्रक्रम प्रसंप लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार जिप्त की जा सकती है। है स्त्राप्त के स्त्राप्त के अभ्याप्तियों की स्त्राप्त सेवा अयोग की यह प्रसंप लोक सेवा आयोग की सह प्रसंप लोक सेवा अयोग की सह प्रसंप लोक सेवा संस्पार में सेवा सेवा सेवा सेवा सेवा सेवा सेवा सेवा						(iii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय
अर्थशास्त्र अथवा वाणिज्य अथवा मांख्यिकी अथवा व्यवसाय अध्ययन अथवा लोक प्रशासन में क्यातक डियों, (iv) किसी मान्यनाप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सामग्री प्रवंधन अथवा मानगोदाम प्रवंधन अथवा प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सामग्री प्रवंधन अथवा लोकिरिक अथवा लोकिरिक अथवा लोकिरिक अथवा लोकिरिक अथवा निक्तिया सन्याप्त संगठन अथवा निक्तिया सन्याप्त संगठन अथवा किशी मान्यात प्राप्त संगठन अथवा किशी मान्यात प्राप्त संस्थान अथवा किशी भी स्टाक अकांउट में चार वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1: अर्हनागं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबढ़ किए जागं, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिक की जा सकती है। टिप्पण 2: अनुभव संवंधी अर्हनत, उन कारणों के लिए, जो लेखबढ़ किए जागं, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुस्थित जानियों और अनुस्थान अस्वानी की वह सिप्त प्राप्त के अप्यर्थी की दशा में तव शिथिल की जा सकती है। दशा में तव शिथिल की जा सकती है वव चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राख है कि उनके लिए आरंथित अनुभव रावने वाले उन समुरार्थित की स्थान के स्थान की यह राख है कि उनके लिए आरंथित अनुभव प्राप्त वाले उन समुरार्थों के प्रथानी के अप्यर्थीयों के प्रथानी के अप्यर्थीयों के प्रथानी के अप्यर्थीयों के प्रथानी के अपयर्थीयों के प्रथानी वाले उन समुर्थीयों के प्रथानी कार्यों का यां स्थानी वाले						या संस्थान से एक विषय के रूप में
मांख्यिकी अथवा व्यवसाय अध्ययन अथवा लोक प्रशामन में स्नातक डिग्री; (iv) किसी मान्यनाप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सामग्री प्रवंधन अथवा मानगीदाम प्रवंधन अथवा प्राप्तण अथवा नांजिस्कि अथवा लोक प्राप्तण में डिप्लोमा। (v) केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा लोक प्राप्त में उपलेश सामग्री अथवा स्वापत्त मंगठन अथवा लोक के कि अपना स्वापत्त मंगठन अथवा लोक के अथवा किसी मान्यता प्राप्त मंस्थान किसी मान्यता मां मंस्थान के स्वार्ण मंस्यान अस्ता मंस्यान के लिए जो लेखवद्ध किए जाएं, मंघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिक की जा सकती हैं। टिप्पण 2: अनुभव मंस्थी अर्हता, उन कारणों के लिए, जो लेखवद्ध किए जाएं, मंघ लोक मेवा आयोग के विवेकानुसार अनुस्वित जातियों और अनुस्वित जन-जातियों के अन्यर्थियों की दशा मं तव शिथिल की जा सकती हैं। विवेद्यान के किसी प्रक्रम पर संघ नोक सेवा आयोग की व्यव्या में स्वय्व मंत्र के स्वयं के सेवा आयोग की व्यव्य के किसी प्रक्रम पर संघ नोक सेवा आयोग की व्यव्य हैं कि उनके लिए आरक्षित शिक्त के मान्य संयान संव्या मंत्र के स्वयं वाले उन समृद्यायों के अभ्यर्थियों के प्रयंग संव्या में स्वयं वाले उन समृद्यायों के अभ्यर्थियों के प्रयंग संव्या में			i			
अथवा लोक प्रशासन में स्नातक डिग्री; (iv) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सामग्री प्रबंधन अथवा मानगोदाम प्रवंधन अथवा प्राप्ण अथवा लॉजिस्टिक अथवा लोक प्राप्ण में डिप्लोमा। (v) केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा कानूनी अथवा स्वायत्त संगठन अथवा लोक क्षेत्रक उपक्रम अथवा विश्वविद्यालय अथवा किसी मान्यता प्राप्त मंस्थान अथवा किसी मान्यता प्राप्त मंस्थान अथवा वैक अथवा भारन के शेयर बाजार में स्वीबद्ध निजी क्षेत्र के संगठन में स्टीर किसि और स्टाक अकांउट में चार वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1: अर्हताएं, अन्यथा सुअहिंत अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, मंघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हता, उन कारणों के लिए, जो लेखबद्ध किए जाएं, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुस्चित जानियों और अनुस्चित जन-जातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की पर की के सेवा आयोग की विवेकानुसार अनुस्चित जन-जातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित िक्तवों को घरने के लिए अरिक्षत विक्तवों को घरने के लिए अरिक्षत विक्तवों को घरने के लिए अरिक्षत अनुभव प्रयोग के प्रयाग संख्या में	!					मांख्यिकी अथवा व्यवसाय अध्ययन
(iv) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सामग्री प्रवंधन अथवा मालगीदाम प्रवंधन अथवा प्रापण अथवा लांजिन्टिक अथवा लांजिन्टिक अथवा लांजिन्टिक अथवा लांजिन्टिक अथवा लांक प्रापण में डिप्लोमा। (v) केन्द्रीय सरकार अथवा नांक क्षेत्रक उपक्रम अथवा वांक क्षेत्रक उपक्रम अथवा वांक क्षेत्रक उपक्रम अथवा वांक क्षेत्रक अथवा वांक क्षेत्रक अथवा शास मंस्थान अथवा किसी माल्यता प्राप्त मंस्थान अथवा किसी माल्यता प्राप्त मंस्थान अथवा किसी माल्यता प्राप्त मंस्थान अथवा विकर्ति माल्यता प्राप्त मंस्थान अथवा विकर्ति क्षेत्र के मंगठन में स्टीर किसी और स्टाक अकांउट में चार वर्ष का अनुभव। दिप्पण 1: अर्हनाएं, अन्यथा सुअर्हित अश्वर्यियों के तथा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। दिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हता, उन कारणों के लिए, जो लेखबद्ध किए, जाएं, मंघ लोक मेवा आयोग के विवेकानुसार अनुस्वित जन-जातियों के अश्वर्यियों की देशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब व्यन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित शिक्तमों को भरने के लिए आरक्षित शिक्तमों के भरने के लिए आरक्षित शिक्तमों को भरने के लिए आरक्षित शिक्तमों के भरने के लिए जारिति विक्तमों के पर्यं से स्वया में स्वया में उन समुदायों के अप्यर्थियों के पर्यंग संख्या में स्वया ने समुदायों के अप्यर्थियों के पर्यंग संख्या में स्वया माल्या में स्वया माल्या में स्वया में स्वया में स्वया में स्वया में स्वया में स्वया माल्या में स्वया म						
या संस्थान से सामग्री प्रवंधन अथवा मालगोदाम प्रवंधन अथवा प्रापण अथवा लोकि प्रापण में डिप्लोमा। (v) केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा लोक प्रापण में डिप्लोमा। (v) केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा कानूनी अथवा स्वायत्त संगठन अथवा के क्षेत्रक उपक्रम अथवा विश्वविद्यालय अथवा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान अथवा वैक अथवा भारत के शेयर बाजार में सूचीबद्ध निजी क्षेत्र के संगठन में स्टोर किसिंग और स्टाक अकांउट में चार वर्ष का अनुभव। दिष्पण 1: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। दिष्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हता, उन कारणों के लिए, जो लेखबद्ध किए जाएं, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जानकों और अतुसूचित जन-जातियों और अतुसूचित जन-जातियों की अध्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं अब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित होता के भरते के लिए आरक्षित शिक्तियों के पर्योग सेव वें के पर्योग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित शिक्तियों के पर्योग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित अनुस्म एक्से वाले उन समुदायों के अध्यर्थियों के पर्योग सेव्हा में						,
मालगोदाम प्रवंधन अथवा प्रापण अथवा लाकिस्टिक अथवा लोक प्रापण में डिप्लोमा। (v) केन्द्रीय मरकार अथवा राज्य सरकार अथवा कानूनी अथवा स्वायत्त संगठन अथवा कोन् के क्षेत्रक उपक्रम अथवा विश्वविद्यालय अथवा किनी मान्यता प्राप्त मंस्थान अथवा किनी मान्यता प्राप्त मंस्थान अथवा किनी मान्यता प्राप्त मंस्थान अथवा किनी मान्यता प्राप्त मंस्यान अथवा किनी मान्यता प्राप्त मंस्यान अथवा किनी मान्यता प्राप्त मंस्यान के किया मारन के शेयर वाजार में सूचीबद्ध निजी क्षेत्र के संगठन में स्टोर किनिया और स्टाक अकांउट में चार वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1: अर्हताएं, अन्यथा मुअर्दित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए, जो लेखबद्ध किए लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिक की जा सकती है। टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हता, उन कारणों के लिए, जो लेखबद्ध किए जाएं, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जन-जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तव शिथिल की जा सकती हैं जब वयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यार्थ के प्रयाप्त संख्या में क्षेत्र अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में क्षेत्र अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थ अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में संख्या में संख्या में संख्या में संख्या में संख्या में संख्या के पर्याप्त संख्या में संख्या						
अथवा लॉजिस्टिक अथवा लोक प्रापण में डिप्लोमा। (८) केन्द्रीय मरकार अथवा राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा लोक क्षेत्रक उपक्रम अथवा लेक क्षेत्रक उपक्रम अथवा लिक क्षेत्रक उपक्रम अथवा विश्वविद्यालय अथवा किसी मान्यता प्राप्त मंस्थान अथवा वैंक अथवा भारत के शेयर बाजार में सूचीबद्ध निजी क्षेत्र के मंगठन में स्टोर किर्पिंग और स्टाक अकांउट में चार वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1: अर्दनाएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्षियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा मकती है। टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्दना, उन कारणों के लिए, जो लेखबद्ध किए, जाएं, मंघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के अभ्यर्थियों की दिशा में तब शिथिल की जा मकती हैं जब वयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित शिनुभव रावने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों को भरने के लिए आरक्षित शिनुभव वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के प्यर्गम संख्या में						
प्रापण में डिप्लोमा। (v) केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा कानूनी अथवा स्वायत्त संगठन अथवा लोक क्षेत्रक उपक्रम अथवा विश्वविद्यालय अथवा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान अथवा विश्वविद्यालय अथवा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान अथवा वैंक अथवा भारत के शेयर बाजार में सूचीबद्ध तिजी क्षेत्र के संगठन में स्टीर किर्पिंग और स्टाक अकांउट में चार वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1: अर्हतागं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हता, उन कारणों के लिए, जो लेखबद्ध किए जाएं, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जान नातियों की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनक लिए आरक्षित रिक्तिमों को भरने के लिए आरक्षित रिक्तिमों को भरने के लिए आरक्षित रिक्तिमों को भरने के लिए आरक्षित रिक्तिमों के परने के लिए आरक्षित राम संव वाले उत्त न मनुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संव्या में						
(v) केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा कानूनी अथवा स्वायत्त संगठन अथवा लोक क्षेत्रक उपक्रम अथवा विश्वविद्यालय अथवा किसी मान्यता प्राप्त मंस्यान अथवा किसी मान्यता प्राप्त मंस्यान अथवा कैंक अथवा भारत के शेयर बाजार में सूचीबद्ध तिजी क्षेत्र के संगठन में स्टीर किर्पिंग और स्टाक अकांउट में चार वर्ष का अनुभव। टिप्पचा 1: अर्हताएं, अन्यथा सुअहिंत अभ्यर्षियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा मकती है। टिप्पचा 2: अनुभव संबंधी अहंता, उन कारणों के लिए, जो लेखबद्ध किए जाएं, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जन-जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिन्तियों को भरने के लिए आरक्षित रिन्तियों के भर्या सेवा जन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संघ ने उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संघ ने स्वार्त में स्वार्त में स्वार्त के पर्याप्त संघ ने स्वार्त के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संघ ने स्वार्त में स्वार्त में स्वार्त के पर्याप्त संघ ने स्वार्त में स्वार्त के पर्याप्त संघ ने समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संघ्वा में	}					
सरकार अथवा कान्नी अथवा म्वायत्त मंगठन अथवा लोक क्षेत्रक उपक्रम अथवा विश्वविद्यालय अथवा किमी मान्यता प्राप्त मंम्थान अथवा किमी मान्यता प्राप्त मंम्थान अथवा कैस क्षेत्रच वाजार में मूचीबद्ध निजी क्षेत्र के संगठन में स्टोर किर्षिंग और स्टाक अकांउट में चार वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों के दिशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा मकती है। टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हता, उन कारणों के लिए, जो लेखबद्ध किए जाएं, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तव शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए आरक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में				j		
स्वायत्त संगठन अथवा लोक क्षेत्रक उपक्रम अथवा विश्वविद्यालय अथवा किसी मान्यता प्राप्त मंस्थान अथवा वैक अथवा प्राप्त मंस्थान में सूचीबद्ध निजी क्षेत्र के संगठन में स्टोर किर्पिंग और स्टाक अकांउट में चार वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1: अहंताएं, अन्यथा सुअहिंत अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखवद्ध किए जाएं, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अहंता, उन कारणों के लिए, जो लेखवद्ध किए जाएं, मंघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तव शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित शिक्तमों को भरने के लिए आपिक्षत शिन्तियों के पर्याप्त के के स्था में के पर्याप्त के पर्याप्त मंच्या में अभ्यर्थियों के पर्याप्त संच्या में अभ्यर्थियों के पर्याप्त संच्या में						
उपक्रम अथवा विश्वविद्यालय अथवा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान अथवा वैंक अथवा भारत के शेयर बाजार में सूचीबद्ध तिजी क्षेत्र के संगठन में स्टोर किर्पिंग और स्टाक अकांउट में चार वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हता, उन कारणों के लिए, जो लेखबद्ध किए जाएं, संघ लोक तेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तव शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए आरक्षित शिक्तियों के भरने के लिए आरक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप संख्या में						
किसी मान्यता प्राप्त संस्थान अथवा वैंक अथवा भारत के शेयर बाजार में स्वीबद्ध निजी क्षेत्र के संगठन में स्टोर किसिंग और स्टाक अकांउट में चार वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हता, उन कारणों के लिए, जो लेखबद्ध किए जाएं, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तिमें को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में						
वैंक अथवा भारत के शेयर बाजार में सूचीबद्ध निजी क्षेत्र के संगठन में स्टोर किपिंग और स्टाक अकांउट में चार वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हता, उन कारणों के लिए, जो लेखबद्ध किए जाएं, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तव शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याम संख्या में	ļ i					
मूचीबद्ध निजी क्षेत्र के संगठन में स्टोर किर्पिंग और स्टाक अकांउट में चार वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1: अर्हनाएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हता, उन कारणों के लिए, जो लेखबद्ध किए जाएं, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तव शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित शिक्तयों को भरने के लिए आरक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याम संख्या में						किसी मान्यता प्राप्त संस्थान अथवा
स्टोर किपिंग और स्टाक अकांउट में चार वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1: अर्हनाएं, अन्यथा सुअर्हिन अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हता, उन कारणों के लिए, जो लेखबद्ध किए जाएं, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याम संख्या में						
स्टोर किपिंग और स्टाक अकांउट में चार वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1: अर्हनाएं, अन्यथा सुअर्हिन अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हता, उन कारणों के लिए, जो लेखबद्ध किए जाएं, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याम संख्या में					i	सूचीबद्ध निजी क्षेत्र के संगठन में
टिप्पण 1: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हता, उन कारणों के लिए, जो लेखबद्ध किए जाएं, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याम संख्या में						
टिप्पण 1: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हता, उन कारणों के लिए, जो लेखबद्ध किए जाएं, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याम संख्या में	1					चार वर्ष का अनुभव।
अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हता, उन कारणों के लिए, जो लेखबद्ध किए जाएं, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याम संख्या में	li		}			•
के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हता, उन कारणों के लिए, जो लेखबद्ध किए जाएं, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के अभ्यर्थियों की देशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित उनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में						अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों
लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हता, उन कारणों के लिए, जो लेखबद्ध किए जाएं, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के अभ्यर्थियों की देशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए आरक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में	i l				-	के लिए जो लेखबद किए जाएं संघ
शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हता, उन कारणों के लिए, जो लेखबद्ध किए जाएं, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के अभ्यर्थियों की देशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में					ĺ	लोक सेवा आयोग के विवेकानसार
टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हता, उन कारणों के लिए, जो लेखबद्ध किए जाएं, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के अभ्यर्थियों की देशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के						शिथिल की जा सकती है।
कारणों के लिए, जो लेखबद्ध किए जाएं, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के			1			
जाएं, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के अभ्यर्थियों की देशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में			1	ļ		ाटपार्व दः अनुभव सवधा अहता, उन
विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में				1		कारणा क लिए, जा लखबद्ध किए
अनुसूचित जन-जातियों के अभ्यर्थियों की देशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में	j			İ		जाए, सघ लाक सवा आयोग क
की देशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में					1	विवकानुसार अनुसूचित जातिया और
सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में						अनुसूचित जन-जातिया के अभ्योथिया
पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में			1			का दशा म तव शिथल की जा
राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में]		[
रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में	į l			ĺ		पर संघ लोक सेवा आयोग की यह
अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में	j				ļ	
अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में					İ	
अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपल क्ध होने की संभावना नहीं है।		1				अनुभव रखने वाले उन समुदायों के
उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।		1	f]		अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में
						 उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु तथा शैक्षणिक अईताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अविध यदि कोई हैं	मर्ती की पद्धति, मर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	पदोन्नित या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वह श्रेणियां जिनसे प्रोन्निति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाए।
(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होना।	प्रोन्नति और मीधी भर्ती के लिए दो वर्ष	(i) पचहत्तर प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा	प्रोप्तिः वेतन मैट्रिक्स (44900-142400 रू.) में स्तर -7 में ऐसे भंडार अधिकारी जिसने ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात पांच वर्ष सेवा की हो और जिन्होंने कार्मिक प्रतिभा तथा प्रवंधन केन्द्र अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान मे

संबंधित क्षेत्र में दो या चार समाह का आजापक प्रशिक्षण टिप्पण: केन्द्रीय (ii) पच्चीम प्रतिशत मीधी मफलतापूर्वक पूरी कर लिया हो। भर्ती द्वारा सरकार द्वारा निर्धारित टिप्पण 1 : इन नियमों की अधिमूचना की तारीख मे नियमित परिवीक्षा की आधार पर वेतन मैट्रिक्स (44900-142400 रू.) में स्तर-7 में अवधि भंडार अधिकारी का पद धारण करने वाले व्यक्तियों के लिए सफलतापूर्वक पात्रता सेवा तीन वर्ष जारी रहेगा। पूरा करने के लिए दो सप्ताह टिप्पण 2: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी का अनिवार्य अर्हक या पात्रना सेवा पूरी कर ली हो, प्रोन्नति के लिए विचार प्रवेशन प्रशिक्षण दिया किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के मंबंध में भी जाएगा। विचार किया जाएगा परन्तु यह तव जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सिहत, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

	(12)	(13)
समूह	'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) में सम्मिलित होंगे:-	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक
1.	अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग- अध्यक्ष;	मेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।
2.	महानिदेशक (मानव संसाधन), रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन – सदस्य;	
3.	निदेशक, कार्मिक निदेशालय या मानव मंसाधन विकास, रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन-	
	मदस्य;	
4.	निदेशक अथवा उप सचिव (अनुसंधान तथा विकास), रक्षा मंत्रालय अथवा निदेशक अथवा	
	संयुक्त निदेशक, सशस्त्र सेना मुख्यालय मिविल सेवा, रक्षा मंत्रालय अथवा निदेशक अथवा उप	
	वित्तीय सलाहकार, एकीकृत वित्त (अनुसंधान तथा विकास)	
	– सदस्य।	
समूह	'क' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार के लिए) में सम्मिलित होंगे:-	
(1)	महानिदेशक (मानव संसाधन) रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन - अध्यक्ष;	
(2)	निदेशक, कार्मिक अथवा निदेशक, मानव संसाधन विकास, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन	
	– मदम्य;	
(3)	निदेशक या उप सचिव, (अनुसंधान एवं विकास), रक्षा मंत्रालय या निदेशक या संयुक्त निदेशक,	
	सशस्त्र सेना मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय या निदेशक या उप वित्तीय सलाहकार (अनुसंधान एवं	
	विकास) – सदस्य।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. भंडार अधिकारी	215*	माधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख'	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -7	चयन	लागू नहीं होना	लागू नहीं होता

*कार्य भार वे आधार पर परिवर्तनीय	राजपत्रिन अनुसचिवीय	(44900रु 142400 रु.)		
--	------------------------	-------------------------	--	--

(8)	(9)	(10)	(11)
लाग् नहीं होना	लागू नहीं होता	(i) साठ प्रतिशत प्रोन्नित द्वारा जिसके न हो सकने पर (अल्पकालिक संविदा सहित) प्रतिनियुक्ति द्वारा; और	प्रोप्नित: वेतन मैट्रिक्स (35400-112400 रु.) में स्तर-6 में ऐसे ज्येष्ट्र प्रशासनिक सहायक जिसने इस ग्रेड में नियमित आधार पर पांच वर्ष सेवा की हो और जिन्होंने कार्मिक प्रतिभा तथा प्रबंधन केन्द्र अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से संबंधित क्षेत्र में दो से चार सप्ताह का अनिवार्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरी कर खी हो। टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक अथवा
		(ii) चालीस प्रतिशत (लघु अवधि मंविदा महित) प्रतिनियुक्ति द्वारा।	पात्रता मेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वह उनमे ज्येष्ठ व्यक्तियों के मंबंध में भी विचार किया जाएगा, वशर्ते उनके द्वार की गई ऐसी अर्हक या पात्रता मेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे में अधिक मे या दो वर्ष इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने ऐसे किनिष्ठ व्यक्तियों महित, जिन्होंने ऐसी अर्ह्क या पात्रता मेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अविध मफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।
			प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)
			केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्रों अथव सार्वजनिक उपक्रमों अथवा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या कानूनी अथवा स्वायत्त संगठनों के ऐसे अधिकारी,-
			(क) (i) जो अपने मूल काडर अथवा विभाग में नियमित आधार पर मदृश पद धारण करते है; या
			(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (35400-112400) य उसके सदृश स्तर-6 में नियमित आधार पर इस पद पर नियुक्ति के पश्चात इस थेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो और
			(ख) निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं एवं अनुभव, धारण करते हों-
			(i) किमी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से स्नातक की डिग्री।
			(ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या कानूनी या स्वायन संगठन या लोक क्षेत्र उपक्रम या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या अन्य संस्थान या बैंक या निजी क्षेत्र के संगठन जो भारत के स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो, से तीन वर्ष का भंडार के देख-भाल और भंडार लेखे के रखरखाव का अनुभव हो।
			टिप्पण 1: पोपक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति पर विचार के लिए पात्र नहीं होंगे। इसी तरह प्रतिनियुक्त अधिकारी प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति पर विचार के लिए पात्र नहीं होंगे।
			टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य वाह्य संवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि

(अल्पकालिक संविदा महित) के साथ-साथ साधारणतया तीन वर्ष मे अधिक नहीं होगी।
टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा (अल्पकालिक मंविदा महित) आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष मे अधिक नहीं होगी।

	(12)	(13)		
समूह ' (1)	ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार के लिए) में सम्मिलित होंगे:- महानिदेशक (मानव संसाधन रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन - अध्यक्ष;	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना अनिवार्य नहीं है।		
(2)	निदेशक, कार्मिक अथवा निदेशक, मानव संसाधन विकास, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन – सदस्य;			
(3)	अवर मचिव, (अनुसंधान एवं विकास), रक्षा मंत्रालय या महायक वित्तीय सलाहकार, एकीकृत वित्त (अनुसंधान एवं विकास), रक्षा मंत्रालय या रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के उप निदेशक (कार्मिक निदेशालय या मानव संसाधन एवं विकास निदेशालय) – सदस्य।			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. विष्प्त भंडार सहायक	240° (2023) 'कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-06 (35400- 112400 रू)	चयन	तीम वर्ष मे अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी मेवकों के लिए शिथिल करके पांच वर्ष तक की जा सकती है।) टिप्पणः आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा होगी।	आवश्यक अर्हताएं (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से अर्थशास्त्र या वाणिज्य या सांख्यिकीय या कारवार अध्ययन या लोक प्रशासन में स्नात्कोत्तर डिग्री; और (ii) केन्द्रीय मरकार या राज्य मरकार या कानूनी या म्वायत्त मंगठन या लोक क्षेत्र उपक्रम या मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या अन्य संस्थान या बैंक या निजी क्षेत्र के मंगठन जो भारत के स्टॉक एक्मचेंज में मूचीबद्ध हो, से एक वर्ष का भंडार के देख-भाल और भंडार लेखे के रखरखाव का अनुभव हो। (iii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से अर्थशास्त्र या वाणिज्य या सांख्यिकीय या कारवार अध्ययन या लोक प्रशासन में स्नातक डिग्री; और

-						
i i			14	() [1 ,1		(iv) केन्द्रीय सरकार या राज्य
						सरकार या कानुनी या स्वायन
i i		1				संगठन या सार्वजनिक उपक्रम
		ļ				या विश्वविद्यालय या कोई भी
1				l l		मान्यताप्राप्त संस्थान या
	3					भारतीय स्टॉक एक्स्चेंज में
						सूचीबद्ध निजी संगठनों में
j.						827
			ĺ			भंडार रख-रखाव एवं भंडार
İ						लेखा रख-रखाव में दो वर्षों का
						अनुभव।
					nun.	टिप्पण 1: अन्यथा अर्हक
						CONT. N. C. S. MARCON. THE MARCON.
						अभ्यर्थियों के मामले में,
		1			k.	लिखित रूप में दर्ज कारणों के
						अधीन कर्मचारी चयन आयोग
	1					या सक्षम प्राधिकारी के विवेक
0						पर अर्हताओं में छूट प्रदान की
			3			जा सकती है।
			1			टिप्पण 2: यदि चयन के किसी
						भी स्तर पर कर्मचारी चयन
						आयोग या सक्षम प्राधिकारी
			ì			का यह मत हो कि अनुसूचित
			1			जाति या अनुसूचित जनजाति
						की श्रेणी में आवश्यक अनुभव
						धारण करने वाले अभ्यर्थियों
						की पर्याप्त संख्या उनके लिए
						आरक्षित रिक्तियों को भरने हेनु
						उपलब्ध नहीं है तो इन श्रेणियों
	[के अभ्यर्थियों के मामले में
						लिखित रूप में दर्ज कारणों के
						लिए कर्मचारी चयन आयोग
			}			या सक्षम प्राधिकारी के विवेक
				i		पर अनुभव संबंधी अर्हताओं में
					120	छूट प्रदान की जा सकती है।

(8)	(9)	(10)	(11)
लाग् नहीं होता।	मीधी भर्ती एवं प्रोन्नित के लिए दो वर्ष। टिप्पण: केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित परिवीक्षा अवधि की सफलतापूर्वक समाप्ति हेतु कम से कम दो सप्ताह का अनिवार्य प्रशिक्षण	(i) माठ प्रतिशत मीधी भर्ती द्वारा (ii) चालीस प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकते पर प्रतिनियुक्ति द्वारा;	प्रोक्ति: वेतन मैट्रिक्स (25500-81100 रु.) में स्तर-4 में ऐसे भंडार सहायक जिसने इस ग्रेड में नियमित आधार पर दस वर्ष सेवा की हो और जिन्होंने कार्मिक प्रतिभा तथा प्रवंधन केन्द्र अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान में संवंधित क्षेत्र में दो से चार समाह का अनिवार्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो। टिप्पण: जहां ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, वशर्ते उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष इनमें से जो भी कम हो, पूरी कर ली हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता पहले ही

पूरी कर ली है, के साथ अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अविधि सफलनापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित):

केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन अथवा स्वायत्त अथवा कानूनी संगठन अथवा सार्वजनिक उपक्रमों अथवा सान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों अथवा अनुसंधान संस्थानों के ऐसे अधिकारी,-

- (क) (i) जो अपने मूल काडर अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है; या
- (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (29200-92300) या उसके सदृश स्तर-5 में नियमित आधार पर इस पद पर नियुक्ति के पश्चात इस श्रेणी में छः वर्ष नियमित सेवा की हो या
- (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (25500-81100)

या उसके सदृश स्तर-4 में नियमित आधार पर इस पद पर नियुक्ति के पश्चात इस श्रेणी में दस वर्ष नियमित सेवा की हो।

(ख) स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती हेतु निर्धारित अर्हना एवं अनुभव।

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति पर विचार के लिए पात्र नहीं होंगे। इसी तरह प्रतिनियुक्त अधिकारी प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति पर विचार के लिए पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक मंत्रिदा महित) केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य बाह्य मंत्रर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक मंत्रिदा महित) के साथ-साथ साधारणतया तीन वर्ष में अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा (अल्पकालिक संविदा सहित) आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

	(12)	(13)		
समूह 'स	ब' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार के लिए) की संरचना	संघ लोक सेवा आयोग में परामर्श करना		
(1)	निदेशक, रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाएं, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन - अध्यक्ष;	आवश्यक नहीं है।		
(2)	किसी भी सहभागी प्रयोगशाला या स्थापना के दो अधिकारी जो वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड-॥ या वरिष्ठ भंडार अधिकारी ग्रेड-॥ या समकक्ष अधिकारी के रैंक से नीचे नहीं हों - सदस्य;			
(3)	अधिकारी जो वरिष्ठ प्रशामनिक अधिकारी ग्रेड-। अथवा वैज्ञानिक 'सी' के रैंक में नीचे के न हों, जो किसी भी संबंधित घटक स्थापना या प्रयोगशाला से नहीं हो या रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन मुख्यालय के समकक्ष स्तर के अधिकारी हों – सदस्य।			

ग्रुप 'ख' विभागीय पुष्टीकरण समिति (पुष्टीकरण पर विचार हेतु) की संरचना:

- तिदंशक, रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाएं, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन - अध्यक्ष;
- किसी भी सहभागी प्रयोगशाला या स्थापना के दो अधिकारी जो विष्य प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड-॥ या विष्य भंडार अधिकारी ग्रेड-॥ या समकक्ष अधिकारी के रैंक से नीचे नहीं हों - सदस्य:
- 3. अधिकारी जो वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड-। अथवा वैज्ञानिक 'मी' के रैंक से नीचे के न हों, जो किसी भी संबंधित घटक स्थापना या प्रयोगशाला से नहीं हो या रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन मुख्यालय के समकक्ष स्तर के अधिकारी हों – सदस्य।

[फा. सं. डीएचआरडी/16342/आरआरस/भंडार कैडर/सी/पी/04/789/डी (आरएंडडी) तारीख 18 अगस्त, 2023]

हर्षा रानी, अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

(Department of Defence Research and Development)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th August, 2023

- S.R.O. 85.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, Stores Group 'A' and 'B' posts, Recruitment Rules, 2012, in so far as they relate to the posts of Senior Stores Officer Grade II, Stores Officer and Senior Store Assistant, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the president hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Senior Store Officer Grade II, Store Officer and Senior Store Assistant, in the Defence Research and Development Organisation, Ministry of Defence, namely:-
- 1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, Senior Store Officer Grade II, StoreOfficer and Senior Store Assistant (Group 'A' and 'B' Posts) Recruitment Rules, 2023.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Application. These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Number of posts, classification and level in pay matrix. -The number of the said posts, their classifications and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.
- 4. **Method of recruitment, age-limit, qualifications.-**The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- Disqualification.-No person, -
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**-Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of posts	Number of posts	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non- selection post	Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Senior Store Officer Grade II.	58* (2023)* Subject to variation dependent on work load.	General Central Service. Group 'A', Gazetted, Ministerial.	Level-10 in the pay matrix (Rs.56100-177500).	Selection.	Not exceeding thirty-five years of age. (Relaxable for the Government servants upto the age of five years in accordance with the instructions or order issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Union Public Service Commission.	Essential: (i) Masters Degree with Economics or Commerce or Statistics or Business Studies or Public Administration from a recognised University or institute, and (ii) Two years experience in store keeping and maintaining stores accounts in the Central Government or State Government or statutory or autonomous organisation or public sector undertaking or University or any recognised institution or Banks or in a private sector organisation listed on the Stock Exchanges of India; or (iii) Bachelors Degree in Economics or Commerce or Statistics or Business Studies or

	Note 2: The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.
--	---

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or by deputation / absorption, grades from which promotion or deputation /absorption to be made
(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable.	Two year for promotees and direct recruits. Note: There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.	(i) seventy-five per cent. by promotion. (iii) twenty-five per cent. by direct recruitment.	Promotion: Stores Officer in level-7 in the pay matrix (Rs.44900-142400) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis, and having successfully completed two to four weeks mandatory training in the relevant area from Centre for Personnel Talent and Management or any other recognised training institute. Note 1: The eligibility service shall continue to be three years for persons holding the post of Stores Officer in level-7 in the pay matrix (Rs. 49900-142400) on regular basis on the date of notification of these rules. Note 2: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite or qualifying service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(13)
Consultation with Union Public Service Commission is necessary on each occasion.
0

- Director General (Human Resource), Defence Research and Development Organisation - Member; Director Directorate of Personnel or Director Human Resource
- Development, Defence Research and Development Organisation

4. Director or Deputy Secretary (Research and Development), Ministry of Defence or Director or Joint Director, Armed Force Headquarters Civil Service, Ministry of Defence or Director or Deputy Financial Advisor, Integrated Finance (Research and Development) - Member.

Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-

- 1. Director General (Human Resource), Defence Research and Development Organisation - Chairman;
- 2. Director Directorate of Personnel or Director Human Resource Development. Defence Research and Development organisation

- Member;

3. Director or Deputy Secretary (Research and Development), Ministry of Defence or Director or Joint Director, Armed Force Headquarters Civil Service, Ministry of Defence or Director or Deputy Financial Advisor, Integrated Finance (Research and Development) - Member.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. Store Officer	215* (2023) Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Ministerial.	Level-7 in the pay matrix (Rs.44900-142400).	Selection	Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable.	Not applicable.	(i) sixty per cent. by promotion failing which by deputation (including short-term contract); and (ii) forty per cent. by deputation (including short-term contract).	Promotion: Senior Store Assistant in level-6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis, and having successfully completed training of two to four weeks in the relevant area from Centre for Personnel Talent and Management or any other recognised training institute. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.
			Deputation (including short-term contract):
			Officers of the Central Government or State Governments or Union territory Administrations or public sector undertaking or Universities or recognised research institutions or autonomous bodies or statutory organisations.
			(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or
			(ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level-6 in the pay matrix (Rs. 35400-

112400) or equivalent in the parent cadre or department; and
(b) possessing the following educational qualifications and experience,-
(i) Bachelor degree from a recognised University;
(ii) Three years' experience in store keeping and maintaining stores accounts in the Central Government or State Governments or statutory or autonomous organisation or public sector undertaking or University or any recognised institution or Banks or in a private sector organisation listed on the Stock Exchanges of India.
Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.
Note 2: The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.
Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not exceed fifty-six years as on the last date of receipt of applications.

(12)	(13)			
Group'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.			
(1) Director General (Human Resource) Defence Research and Development Organisation - Chairman;				
(2) Director, Directorate of Personnel, or Director, Directorate of Human Resource Development, Defence Research and Development Organisation – Member;				
(3) Under Secretary, (Defence Research and Development), Ministry of Defence or Assistant Financial Advisor, Integrated Finance (Research and Development), Ministry of Defence or Deputy Director of Armed Force Headquarters Civil Services, Ministry of Defence - Member.				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. Senior Store Assistant.	240*(2023) * Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'B', Non- Gazetted, Ministerial,	Level-6 in the pay matrix (Rs.35400- 112400).	Selection.	Not exceeding thirty years of age. (Relaxable for the Government servants upto the age of five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the agelimit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.	

						keeping and
						maintaining stores
						accounts in the
						Central
						Government or
		ĺ				State Governments
						or statutory or
i						autonomous
						organisation or
1						public sector
						undertaking or
						University or any
						recognised
i						institute or Banks
						or in a private
						sector organisation
						listed on the Stock
					·	Exchanges of
		İ		:		India; or
i						(iii) Bachelors
						Degree in
1						Economics or
		j				Commerce or
		Í		i		Statistics or
						Business Studies
						or public
						Administration
						from a recognised
		1				University or
						institute; and
						(iv) Two years'
	İ					experience in store
						keeping and
		1			,	maintaining stores
				1	į	accounts in the
]					Central
1						Government or
1						State Governments
		Ī			l	or statutory or
						autonomous orga-
	ļ		J			nisation or public
] [İ					sector undertaking
		ł				or University or
		[Ì		any recognised
	ļ	I				institute or Banks
!		I	1			or in a private
		1				sector
[ļ	İ	organisations
		l		I		listed on the Stock
				I		Exchanges of
	ĺ	l		I		India.
		ı		I		Note 1: Qualifi-
				ł		cations are
	1			I		relaxable at the
	ĺ		1			discretion of the
		ļ	[I		Staff Selection
			I			
			I			
İ						competent
			Ì			authority, for
		1				reasons to be recorded in
						recorded in

	·	 -			T	
			J			writing, in the case
						of candidates
						otherwise well
						qualified.
						-
			}			Note 2: The
						qualifications
						regarding
						experience are
						relaxable at the
						discretion of the
						Staff Selection
						Commission or
						competent
						authority for
						reasons to be
			ĺ			recorded in writing
				:		in the case of
						candidates
						belonging to the
						Scheduled Castes
	i					and the Scheduled
						Tribes, if at any
						stage of selection
						the Staff Selection
1 1	ļ					Commission or
						competent
1						authority, is of the
		Ì	' I			opinion that
		l		l		sufficient number
				l		of candidate from
				l		these communities
			ĺ	l		possessing the
		ŀ		J		requisite
				ĺ		experience are not
						likely to be
	į		ŀ			
		J				available to fill up
		İ		-		the vacancies
						reserved for them.

(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable.	Two year for direct recruits and promotees. Note: There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.	(i) sixty per cent. by direct recruitment. (ii) forty per cent. by promotion failing which by deputation.	in the pay matrix

autonomous or statutory organisation or public sector undertaking or recognised University or research institution,-
(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre of department; or
(ii) with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level-5 in the pay matrix (Rs. 29200-92300) or equivalent in the parent cadre or department; or
(iii) with ten years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) or equivalent in the parent cadre or department; and
(b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).
Note 1: The departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.
Note 2: The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.
Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not exceed fifty-six years as on the last date of receipt of applications.

(12)	,		(13)		
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-	Consultation Commission is	with not nec	Union essary,	Public	Service
Director of Defence Research and Development Laboratories, Defence Research and Development Organisation – chairman;					
2. Two officers not below the rank of Senior Administrative Officer Grade II or Senior Store Officer Grade II or equivalent Officer from any of the participating Laboratories or Establishments Member;					
3. An officer not below the rank of Senior Administrative Officer Grade I or Scientist 'C' who does not belong to any of the constituent Establishment or Laboratory or Officer of equivalent level from Defence Research and Development Organisation Headquarter– Member.					
Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-					
Director of Defence Research and Development Laboratories, Defence Research and Development Organisation – Chairman;					
2. Two officer not below the rank of Senior Administrative Officer Grade II or Senior Store Officer Grade II or equivalent Officer from any of the participating Laboratories or					

	भाग [I—-खण्ड 4
--	-------	-----------

Establishments - Member;	
3. An officer not below the rank of Senior Administrative Officer Grade I or Scientist 'C' who does not belong to any of the constituent Establishment or Laboratory or Officer of equivalent level from Defence Research Development Organisation headquarters - Member.	

[F. No. DHRD/16342/RRs/Store Cadre/C/P/04/789/D (R&D) dated the 18 August, 2023] HARSHA RANI, Under Secy.